17.7.90

सिटी-बोर्ड (नगर-परिषद) जौनपुर की बैठक दिनांक 17.7.1990 दिन मंगलवार अपरान्ह 5.00 बजे श्री सीताराम यादव, अध्यक्ष, सिटी-बोर्ड, जौनपुर की अध्यक्षता में टाउन हाल में हुयी, जिसमें निम्न सदस्य उपस्थित रहे, उनके नाम व कार्यवाही निम्नप्रकार है।

1	श्री सीताराम यादव	अध्यक्ष
2	" नजीर हुसैन	सदस्य
3	" राजेन्द्र प्रताप सिंह	ज्येष्ठ उपाध्यक्ष
4	" मिठाई लाल	सदस्य
5	" डा० सुनील श्रीवास्तव	"
6	" गणेशनाथ रावत	"
7	" शिवकुमार गुप्त	"
8	" बाबूलाल गुप्त	"
9	" दयाशंकर साहू	"
10	" ओमनाथ आर्य	"
11	" रामअधार यादव	"
12	" मिर्जा ज्यारत हुसैन	"
13	" अनसरजा उर्फ महप्पा जी	"
14	" एमजान खां	कनिष्ठ उपाध्यक्ष
15	" वीरेन्द्र प्रताप यादव	सदस्य
16	" रविन्द्र प्रताप सिंह	"
17	" विद्यासागर सोनकर	"
18	" कैलाशनाथ मौर्य	"
19	" सै० मेंहदी हसन	"
20	" नरेन्द्र बहादुर सिंह	"
21	श्रीमती शान्ती देवी	नामित सदस्य
22	श्री हाजी मो० सलीम	सदस्य
23	श्री डा० कृष्ण कुमार श्रीवास्तव	"
24	श्री मुख्तार अहमद	"

अधिशासी अधिकारी
सिटी-बोर्ड जौनपुर
17.7.90

अध्यक्ष,
सिटी बोर्ड
जौनपुर
17.7.90

प्रस्ताव	निर्णय
1. सिटी बोर्ड जौनपुर की पिछली बैठक दिनांक 28.5.90 की कार्यवाई वास्ते पुष्टि।	बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ होने के पूर्व अध्यक्ष के आदेश से अधिशासी अधिकारी द्वारा बैठक के सम्बन्ध में बाईलाज (नियमावली) पढ़ी गयी। नियमावली पढ़ते समय श्री शोभनाथ आर्य व श्री जनार्दन, माननीय सभासद ने विरोध किया कि इस नियमावली को सदन में पढ़ने का क्या औचित्य है? अध्यक्ष महोदय द्वारा यह बताया गया कि सभा और की कार्यवाही में नियमित ढंग से रहने तथा नियम के पालन को सुनिश्चित रखने हेतु नियमावली का प्रकाशित किया जाना आवश्यक है और इसी उद्देश्य से नियम को पढ़कर बताया जा रहा है। श्री जनार्दन, माननीय सभासद ने यह पूछताछ की कि क्या शासन से प्राप्त आदेशों, परिपत्रों को बोर्ड की कार्यवाहियों में सम्मिलित किया जाता है? अध्यक्ष द्वारा यह स्थिति स्पष्ट की गयी कि जो भी ऐसे आवश्यक शासनादेश होते हैं, जिन्हे वे आवश्यक समझते हैं, बोर्ड की बैठकों में रखते हैं और भविष्य में इस पर विशेष ध्यान दिया जाया करेगा। श्री शोभनाथ आर्य, माननीय सभासद ने सदन में यह जानना चाहा कि कुल कितने

क्र०पृ०उ०

e.P.T

17.7.90

प्रस्ताव :-

निर्णय :-

सदस्य हैं और जिन्हे जिन्हे बोर्ड की कार्यवाही की सूचना दी जाती है इस पर अध्यक्ष की अनुमति से अधिशासी-अधिकारी व पार्षद लिपिक ने यह स्पष्ट किया कि पालिका के 23 निर्वाचित सदस्य, दो नामित सदस्य, दो सदस्य विधान परिषद, एक सदस्य विधान सभा एवं एक सदस्य सांसद कुल मिलाकर 29 व्यक्ति बोर्ड के सदस्य हैं, जिन्हें बोर्ड की कार्यवाही की सूचना दी जाती है, पर श्री शोभाराम आर्य माननीय सभासद ने यह आपत्ति की कि श्री कुंवर वीरेन्द्र प्रताप सिंह, जो अभी नये एम०एल०सी० निर्वाचित हुये हैं उन्हें कार्यवाही की सूचना क्यों नहीं दी गयी, पर यह स्थिति स्पष्ट की गयी कि इनके सम्बन्ध में शासन एवं जिला निर्वाचन अधिकारी से कोई सूचना नहीं प्राप्त हुयी है।

माननीय सदस्य श्री जनसरजा ने नगर में पेय जलापूर्ति समुचित मात्रा में प्राप्त न होने एवं नगर समुचित सफाई न होने के प्रति चिन्ता व्यक्त करते हुये यह जानना चाहा कि नगर में वर्तमान में जलापूर्ति एवं सफाई समुचित मात्रा में ठीक प्रकार से नहीं हो रही है, जिससे जन जीवन

प्रस्ताव :-

निर्णय :-

ग्रस्त है। अध्यक्ष महोदय ने कहा कि आप नियमानुसार उन के सम्बन्ध में अपना प्रश्न मुझे एक सप्ताह पूर्व दें तो उसका उत्तर आपको दे दिया जायेगा। श्री अंतसरजा मान्य सभासद ने अपने को जन प्रतिनिधि व्यक्त करते हुये यह खेद प्रकट किया कि वे जनहित के कार्य नहीं करा पा रहे हैं, जिसके लिए उन्हें जनता में शर्मिन्दा होना पड़ता है। हम नागरिकों की इच्छाओं/समस्याओं को पूर्ण करने के लिए वचनबद्ध होते हैं, जिसे पूरा कराना मेरा उत्तरदायित्व होता है और वह भी नहीं हो पाता, यह चिन्ता का विषय है। अध्यक्ष ने स्थिति स्पष्ट करते हुये यह बताया कि पालिका में उपलब्ध साधनों से यथाशक्ति नागरिक सुविधायें उपलब्ध करायी जा रही है। यदि किसी मान्य सभासद की ओर समस्या हो तो उनके आग्रह पर मैं चलकर स्वयं देखूँगा और निराकरण कराऊँगा।

इसके पश्चात बैठक की दिनांक 28-5-90 की कार्यवाही परिषद लिपिक श्री महेशनारायण द्वारा पढ़ी गयी। कार्यवाही पढ़ने के दौरान श्री अंतसरजा मान्य सभासद ने यह आपत्ति

17.7.90

प्रस्ताव :—	निर्णय :—
	प्रगट किया कि उन्होंने कोई अशोभनीय बातें श्री गोपीकृष्ण श्रीवास्तव कर-अधीक्षक के प्रति नहीं कहा था और न ही कड़े शब्दों का प्रयोग किया था, इसलिए इसे कार्यवाही पुस्तिका से निकाला जाय, जिस पर सदन में सर्वाधिक सदस्यों द्वारा उसे निकालने पर सहमति पाया गया। श्री सोमनाथ आर्य मान्य सभासद व श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह, ज्येष्ठ उपाध्यक्ष ने कहा कि श्री कामेश्वरनाथ मिश्र, सफाई निरीक्षक के विरुद्ध 16 मान्य सभासदों द्वारा हस्ताक्षरित दिये गये शिकायती पत्र पर अब तक कोई कार्यवाही नहीं की गयी, का कारण स्पष्ट किया जाय, के सम्बन्ध में अध्यक्ष ने यह बताया कि वरिष्ठ नगर स्वास्थ्य-अधिकारी/उप मुख्य चिकित्सा-धिकारी जो सदर अस्पताल के अधिकारी हैं, को पहले ही जाँच हेतु पत्र लिखा गया है, जिनकी आख्या अभी तक प्राप्त नहीं हुयी है, इस पर श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह, ज्येष्ठ उपाध्यक्ष ने कहा कि इसके लिये एक कमेटी सभासदों में से गठित करके उनकी जाँच करायी जाय। अध्यक्ष ने इस पर कहा कि ठीक है, इसे देख लिया जायेगा और नियमानुसार

प्रस्ताव। — निर्णय. —

कार्य कराया जायेगा।

पिछली कार्यवाही की पुष्टि पढ़ने के दौरान श्री शोभनाथ आर्य मान्य सभासद ने कहा कि जहाँ शब्द चुंगी अधीक्षक ने बताया के स्थान पर चुंगी अधीक्षक का नाम स्पष्ट किया जाय कि वह कौन है? इसमें संशोधन किया जाय इस पर अध्यक्ष की अनुमति से संशोधन करने हेतु सहमति हुयी। पिछली बैठक में मार्च 90 निर्माण कार्य के किये गये भुगतानों पर चर्चा के दौरान कार्यवाही पुस्तिका (प्रोसीडिंग बुक) पर अग्रेत्तर कार्यवाही अंकित किये जाने सम्बन्धी विषय को लेकर मान्य सभासद डा० श्री कृष्ण कुमार श्रीवास्तव ने यह आपत्ति की कि उन्होंने केवल अग्रेत्तर कार्यवाही के लिये नहीं कहा था, वरन यह कहा था कि उसकी छानबीन की जाय और कहा कि यदि उन ठीकेदारों के बिलों का सम्बन्धित सभासद की संस्तुति बिना भुगतान हुआ है तो दोषी अधिकारी/कर्मचारी के वेतन से रिकवरी कराई जाय। इस सम्बन्ध में अधिशासी अधिकारी.

17.7.90

प्रस्ताव	निर्णय
	ने अध्यक्ष की अनुमति से म्युनिसपल एकाउन्ट कोड रूल्स की धारा 70 का उल्लेख करते हुये यह बताया कि निर्माण कार्यों के पूर्ण होने का प्रमाणपत्र देने के लिये, नगर अभियन्ता, यदि नगर अभियन्ता नहीं है तो सचिव अथवा अधिशासी अधिकारी का ही दिया गया प्रमाणपत्र कार्य पूर्ण होने के सम्बन्ध में प्राविधानित है, पर आपत्ति करते हुये मान्य सभासद डा० श्रीकृष्ण कुमार श्रीवास्तव ने यह कहा कि सदन द्वारा पूर्व में निर्णय लिया जा चुका है कि सभी निर्माण कार्यों का भुगतान क्षेत्रीय सभासद की संस्तुति के पश्चात ही किये जाँय, तो उसका अनुपालन न किया जाना बोर्ड के आदेशों की अवहेलना है और बोर्ड में लिये गये निर्णयों का पालन नितान्त आवश्यक है।
	श्री अनसर जा मान्य सभासद ने कहा कि उनके विरुद्ध जो पिछली बैठक 28.1.90 की कार्यवाही में लिखित वक्तव्य जो नोटिस बोर्ड पर चस्पा की गयी है, वह क्यों और किनके द्वारा किया गया है। श्री महेन्द्रनारायण

प्रस्ताव

निर्णय :-

परिषद् लिपिक ने स्वीकार किया कि वे पूर्व के सभी बैठकों की कार्यवाही नोटिस बोर्ड पर चस्पा कराते रहे हैं और इसे भी उसी की भाँति चस्पा कराया है, जो नियमानुकूल है, इस पर नियम की बात हुई तो डा० सुनील श्रीवास्तव, मान्य सभासद ने म्युनिस्पल ऐक्ट की धारा 94(3) को प्रस्तुत किया और कहा कि कार्यवृत्ति का प्रकाशन समाचार पत्र में कराया जाना चाहिये। इस पर अध्यक्ष की अनुमति से अधिशासी-अधिकारी द्वारा उपरोक्त धारा सदन में पढ़ा गया और "यथाशक्य" शब्द पर चर्चा चली, अधिशासी-अधिकारी ने बताया कि 'यथाशक्य' का तात्पर्य 'यथासम्भव' से है। इस पर डा० श्री कृष्ण कुमार श्रीवास्तव, मान्य सभासद ने उपरोक्त ऐक्ट को लेकर उक्त धारा को पुनः पढ़ा और सदन को यथाशक्य के बारे में अवगत कराया कि यथाशक्य का अभिप्राय "बोर्ड की वित्तीय स्थिति जैसी हो, उसी के अनुसार कार्यवाही की जाय। ~~तदर्थ~~ अतः कार्यवाही को -

17.7.90

प्रस्ताव:-

निर्णय:-

समाचार पत्र में प्रकाशित न कराकर उसे बोर्ड की वित्तीय स्थिति को देखते हुये पालिका तथा जिलाधिकारी कार्यालय की नोटिस बोर्ड पर चस्पा कराया जाय। मान्य सभासद श्री अनसरजी ने यह आपत्ति करते हुये कहा कि उन्होंने विधायी कार्यवाइयों की सूची (पूर्ण कार्यवृत्त) श्री महेशनारायण, पीठ सद लिपिक से मांगी थी, जिसके बारे में उन्होंने (श्री महेशनारायण) बताया कि कार्यवाही नियमानुसार अध्यक्ष की अनुमति से ही दी जा सकती है।

श्री विद्यासागर, मान्य सभासद ने कहा कि सचिव/अधिशासी अधिकारी महोदय सदन को गुमराह कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि म्युनिसपल ऐक्ट की धारा 52 में शब्द बोर्ड आया है न कि मेम्बर सदस्य। बोर्ड के सदस्य जो भी चाहे वह अध्यक्ष की अनुमति से पूछ सकते बोर्ड की पहली बैठक दिनांक 25-2-89 होने के पूर्व हम मान्य सभासदों को दो-दो पृष्ठ के नियम की कापी टाइप कराकर दी गयी थी और मैंने इसी बोर्ड में यह पूछा था कि क्या बोर्ड के सदस्यों को कुछ अधिकार, कर्तव्य हैं। हमलोग जनहित में कार्य करने

प्रस्ताव

निर्णय

के लिए आये हैं तो यह बता दीजिये कि हमलोग क्या क्या कर सकते हैं। अध्यक्ष की अनुमति से अधिशासी अधिकारी ने कहा कि तत्कालीन अधिशासी अधिकारी की बातें मुझे कुछ नहीं मालूम है और उन्होंने आपसे क्या कहा था या लिखकर दिया था, नहीं मालूम, अगर कुछ गलत था तो अब ऐसा नहीं होगा. इस पर श्री सोनकर जी मान्य सभासद ने कहा कि कानून और व्यवहार दोनों साथ साथ चलते हैं और आप सदन को गुमराह न करें, जैसा कि मान्य सभासद डा० श्री कृष्ण कुमार श्रीवास्तव ने कहा है। इस पर अध्यक्ष की अनुमति से अधिशासी-अधिकारी ने कहा कि गुमराह करने की कोई बात नहीं है, बोर्ड की वित्तीय स्थिति ठीक नहीं है और यथाशक्ति की बात तो यह है कि उसे देखते हुये जो सदन में पास हो उसका पालन किया जाय, इस पर ज्येष्ठ उपाध्यक्ष श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह ने कहा कि वित्तीय स्थिति ठीक नहीं है तो दुकान बनवाने की क्या आवश्यकता थी, इस पर श्री अनसरजा मान्य सभासद ने कहा कि स्थानीय प्रमुख

17.7.90

प्रस्ताव	निर्णय:
	समाचार पत्र में प्रकाशित होने वाले विज्ञापन, ई.द. बकरीद 15 कागज में क्यों दिया जाता है, इसे चला जा सकता था, लेकिन ~~ऐसा~~ ऐसा नहीं किया गया। कोई आवश्यक नहीं था कि विज्ञापन दिया जाय, अध्यक्ष ने कहा कि आपकी समझ से कोई का काम नहीं होता, इसपर श्री अतहर रजा माननीय सभासद ने कहा कि इसे मनमाने तौर पर न चलायें, इस पर श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह, उपाध्यक्ष ने कहा कि अध्यक्ष जी यह वित्तीय मामला है, इसे अनाप शनाप खर्च न करें, कम से कम 20-25 हजार का विज्ञापन पर आपने खर्च किया है, जो उचित नहीं है। चर्चा को आगे बढ़ाते हुये श्री मु० सलीम सभासद ने कहा ~~कि मो० सलीम, मान्य सभासद~~ कि कि यदि कोई चाहता है तो कम से कम विज्ञापन दिये जाँय और वह बाहर के समाचार पत्रों में न देकर उसे स्थानीय समाचार पत्रों में दिया जाय। सुझाव के रूप में डा० श्री कृष्ण कुमार श्रीवास्तव माननीय सभासद ने कहा जैसा कि अधिशासी - अधिकारी ने कहा

प्रस्ताव	निर्णय
	कि जो जरूरी है, उसे देना पड़ता है तो मेरे विचार से समाचार पत्र में प्रकाशन न कराकर उसे सूचनापट्ट पर ही चस्पा किया जाय, जिसका समर्थन अधिकांश सभासद ने किया। श्री अनसारजी, मान्य सभासद ने कहा कि बाहर के समाचार पत्र में विज्ञापन न देकर उसे स्थानीय समाचार पत्रों में कम खर्च में दिया जाय। श्री मो० सलीम, मान्य सभासद ने कहा कि जब से कोई बनी है, कब-कब काम हुआ है, उसकी सूची वार्ड के अनुसार बतायी जाय, इस पर अध्यक्ष महोदय ने कहा कि ठीक है। चर्चा को आगे बढ़ाते हुये श्री मतसरूजी, मान्य सभासद ने कहा कि उन्होंने गत बैठक में मकानों के ए० आर० वी० (Annual Rental value) 360/- तीन सौ साठ किये जाने सम्बन्धी ज्ञानकारी माँगा, लेकिन वह आज तक कर-अधीक्षक द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया, यदि हो तो अभी इसी सदन पटल पर प्रस्तुत करायी जाय। कर-अधीक्षक द्वारा अनियमितता बरती जा रही है और जनता को परेशान किया जा रहा है

17.7.90

प्रस्ताव	निर्णय :-
	अध्यक्ष की अनुमति से अधि. अधिकारी ने कहा कि उक्त शासनादेश यहाँ उपलब्ध नहीं है, गोरखपुर नगर महापालिका से मंगवाया जाना है इस पर अध्यक्ष ने कहा कि इसे मंगवाया जाय इस पर श्री अनुसरजा, मान्य सभासद ने कहा कि जब तक उक्त शासनादेश, सिटी बोर्ड जौनपुर में नहीं आ जाता, तब तक ए० आर०वी० 36%- करने पर कोई प्रतिबन्ध न किया जाय और जनता को परेशान न किया जाय इस बात का समर्थन अधिकांश सभासदों ने किया और अन्त में गत बैठक दिनांक 28-5-90 अट्ठाइस मई सन नब्बे की कार्यवाही सर्व-सम्मति से पुष्ट की गयी।
2. सिटी-बोर्ड जौनपुर का वित्तीय वर्ष 1990-91 के माह मई 90 का मासिक आय व्यय लेखा विवरण पत्रादि परिषद के अवलोकन व अनुमोदन हेतु।	माह मई 90 के मासिक आय व्यय पर सदन में चर्चा हुयी। मासिक आय-व्यय लेखा विवरण अध्यक्ष की अनुमति से लेखाकार श्री कैलाश सिंह द्वारा पढ़ा गया आय पक्ष पर सहमति पायी गयी, लेकिन व्यय पक्ष पर विवेचना शुरू हुयी। मद संख्या 16 की पर श्री राम अधार यादव, सभासद ने कहा कि पशु आहार क्या है? इस पर कैसा व्यय

प्रस्ताव

निर्णय :-

होता है। इस सम्बन्ध में अध्यक्ष की अनुमति से लेखाकार श्री कैलाश सिंह ने स्पष्ट किया कि जो मैले किराये पर चलते हैं, उनकी खुराकी का व्यय इसी मद में किया जाता है, जिसे सुनकर समासदगण आश्वस्त हो गये।

मद सं० 16 सफाई प्रासंगिक के बारे में श्री अनवरजा, मान्य सभासद ने सदन में कहा कि इस व्यय का क्या सम्बन्ध है, लेखाकार श्री कैलाश सिंह ने बताया कि सफाई / स्वास्थ्य से सम्बन्धित जो भी क्रय किये जाते हैं, उसी का व्यय इस मद में सम्मिलित होता है।

इस पर श्री अनवरजा, मान्य सभासद ने कहा कि सफाई हवलदार द्वारा उन्हें यह बताया गया कि उन्हें सामान, चूना आदि नहीं मिलता है ऐसी दशा में वह सफाई का कार्य किस प्रकार से कर सकते हैं, श्री अनवरजा मान्य सभासद ने पूर्व में हुये एक वार्ड का जिक्र करते हुए कहा कि इसके पूर्व स्वर्गीय श्री सन्यालिया वकील के यहाँ शादी पड़ी थी और सम्बन्धित सफाई हवलदार को चूना नहीं दिया गया। उन्होंने सफाई हवलदार को पैसा देकर चूना मंगवाया

17.7.90

प्रस्ताव	निर्णय
	और अध्यक्ष/बोर्ड की प्रतिष्ठा बचाने के लिये उक्त शादी के मौके पर चूना छिड़कवाया। चर्चा को आगे बढ़ाते हुये उन्होंने कहा कि जो भी खर्च किया गया है उसकी पत्रावली भी सदन में मौजूद रहनी चाहिये और अगली बैठक में रखवा जाय, इस पर अध्यक्ष ने कहा कि ठीक है, अगली बैठक में सभी सम्बन्धित पत्रावलियां मौजूद रहेंगी। श्री अनवरुल्ला, मान्य सभासद ने कहा कि जो भी सामान क्रय किये जाते हैं, वह कैसे क्रय किये जाते हैं, इस पर अध्यक्ष की अनुमति से श्री नरेन्द्रनाथ सिंह कार्यवाहक वरिष्ठ नगर स्वास्थ्य अधिकारी / वरिष्ठ सफाई निरीक्षक ने बताया कि श्री मनापाल श्री श्यामरतन श्रीवास्तव कोटेशन लेकर सामान लेते रहे हैं और उसमें घपला करते रहे हैं। उन्होंने अपने कार्यवाहक अधिशासी अधिकारी पद के अल्प कार्यकाल में घपला को पाकर मनापाल के कार्यालय कक्ष एवं स्टोर का ताला सील कर दिया और उनके विरुद्ध कार्यवाही हेतु लिखा है और वर्तमान समय

प्रस्ताव

निर्णय :-

मैं श्री शीतला प्रसाद तिवारी लिपिक जो सफाई निगम के द्वितीय श्रेणी लिपिक हैं, से मलाफाल सम्बन्धी कार्य खरीद-फरोख्त एवं वितरण का कार्य लिया जा रहा है। श्री अनूप रजा मान्य सभासद ने कहा कि किसी सामान को क्रय करने के लिये उसका टेण्डर मांगकर सामानों को क्रय किया जाय, उन्होंने यह भी कहा कि अब तक जो भी सामान क्रय किये जाते हैं, वह किस रेट पर और किस फर्म से लिये गये हैं, उसका विवरण अगली बैठक में सदन में रखा जाय। इस पर अध्यक्ष ने कहा कि ठीक है।

चर्चा को आगे बढ़ाते हुये श्री विद्यासागर सोनकर मान्य सभासद ने कहा कि बरसात का समय है, नाली नाला जाम है, उन्होंने सदन में बताया कि उनके द्वारा इस मामले में सम्बन्धित क्षेत्रीय सफाई हवलदार से पूछा कि नाली नाला क्यों जाम है? तो सम्बन्धित सफाई हवलदार का कहना था कि सामान आदि नहीं मिल रहा है, इसी मामले में वे जिस दिन अधिशासी-अधिकारी महोदय के यहाँ आये थे,

17.7.90

प्रस्ताव।

निर्णय:—

तो उसी दिन उनके कार्यालय कक्ष में उपस्थित श्री कामेश्वरनाथ मिश्र, सफाई निरीक्षक ने बताया कि मण्डलपाल श्री रामभूतनाथ श्रीवास्तव, ने फ्राड व घपला कर दिया है और 50 को 500 बनाया है, इस सम्बन्ध में उन्होंने कहा कि उन्होंने पूर्व में रिपोर्ट माँगी थी, उसकी प्रति उन्हें नहीं दी गयी। चर्चा को आगे बढ़ाते हुये श्री सोनकर जी मान्य सभासद ने कहा कि एक मामला चुंगी का था, जिसमें मात्र 50/- पचास रुपये की चुंगी चोरी दिखलाकर सम्बन्धित चुंगी मोहर्रिर को निलम्बित कर दिया गया था और उसे दंडित किया गया, तो मण्डलपाल श्री रामभूतनाथ श्रीवास्तव के विरुद्ध क्यों कार्यवाही नहीं की गयी और उन्हें दंड क्यों नहीं दिया गया? उन्होंने कहा कि सफाई के सामान तत्काल दिये जांय इस पर अध्यक्ष ने कहा कि ठीक है, सफाई हवलदारों के माँग करने पर ~~तत्काल~~ दिये जायेंगे। डा० कृष्ण कुमार श्रीवास्तव मान्य सभासद ने नगर में मच्छरों के प्रकोप की ओर ध्यान दिलाया और कहा

प्रस्ताव :-

निर्णय :-
कि नगर में मच्छर का प्रकोप अधिक है और कीटनाशक दवाओं का छिड़काव जरूरी है, यदि मशीन उपलब्ध न हो तो फागू के जिला बनारस से खरीद ली जाय अथवा अन्य पड़ोसी जिलों से माँगकर छिड़काव कराया जाय।

डा० श्री सुनील श्रीवास्तव, मान्य सभासद ने कहा कि मंडार-पाल श्री शम्भूनाथ श्रीवास्तव इस समय क्या कर रहे हैं? और उन्हे हाजिरी क्यों नही बनाने दिया जा रहा है? इस पर अध्यक्ष महोदय ने कहा कि श्री शम्भूनाथ श्रीवास्तव, मंडार-पाल ने मंडार में कुछ गड़बड़ी कर रखी है और उनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जा रही है जो जाँच स्तर पर है इस पर मान्य सभासद डा० सुनील श्रीवास्तव एवं श्री शिव-कुमार गुप्त, सभापति स्वास्थ्य-समिति ने कहा कि श्री शम्भू-नाथ श्रीवास्तव, मंडारपाल की चोरी पकड़ जाने पर उन्होने उनके (श्री शिवकुमार गुप्ता) विरुद्ध कोतवाली सदर जौनपुर में F.I.R. दर्ज करवायी है इस बात को लेकर सदन में काफी हंगामा और शोर शराबा

निर्णय —

हुआ श्री मंगलपाल के गबन
कृत्यों एवं मान्य सभासद
के विरुद्ध लिखवाई गयी
एफ०आई०आर० के पर
सभी मान्य सभासदों ने रोष
प्रकट किया तब सदन में
ही अध्यक्ष महोदय ने
अधिशासी अधिकारी को
निर्देशित किया कि वे
तत्काल उक्त मंगलपाल
श्री राममूरत श्रीवास्तव के
विरुद्ध पूरी तरह विचार
कर नियमानुसार कार्यवाही
करें और यदि गबन के
आरोप भी उनके विरुद्ध
बनते हो तो उनके खिलाफ
एफ०आई०आर० भी
किया जाए।

मद सं० 18 अस्पताल
पर व्यय के सम्बन्ध में
सभासद श्री श्रीमताप आर्य ने
पूछा कि क्या वार्ड में
कोई अस्पताल भी है, जो
उस पर व्यय किया जा
रहा है, इस पर लेखाकार
श्री कैलाश सिंह ने बताया
कि एक जच्चा बच्चा केन्द्र
है उसमें कार्यरत एक दाई
का वेतन इस मद से
निकलता है। डा० श्री कृपा
कुमार श्रीवास्तव मान्य सभासद

By whom deposited
Name of Depositor
1
2

17.7.90

प्रस्ताव :-

निर्णय :-

ने कहा कि उक्त दाई कार्य कर रही है, किन्तु उसका वेतन रोक दिया गया था, मान्य सभासद ने यह कहा कि अध्यक्ष जी उसके दैनिक कार्यों का रजिस्टर देख ले और यदि उससे सन्तुष्ट हो तो उसका वेतन दे दिया जाय, इस पर अध्यक्ष महोदय द्वारा यह बताया गया कि उक्त दाई का वेतन दे दिया गया है, किन्तु उसके द्वारा दैनिक कार्यों का रजिस्टर न दिखाये जाने व कई मान्य सभासदों से उसे अपने कार्यों के प्रति न मिलने के कारण उस पर 25/- अर्थ दंड लगाया गया है। मान्य सभासद ने यह कहा कि उक्त दाई अब कार्य ठीक से कर रही है और चूँकि वह अल्प वेतन भोगी गरीब कर्मचारी है, अतएव उस पर लगाये गये अर्थ दंड को माफ कर दिया जाय, इस पर सदन की सहमति पायी गयी और अध्यक्ष ने कहा कि ठीक है, देख लिया जायेगा।

चर्चा को आगे बढ़ाते हुये मान्य सभासद श्री जनार्दनसना ने कहा कि पालिका में जो

17.7.90

प्रस्ताव :—

निर्णय :—

वैक्सीनेटर हैं, वे क्या करते हैं।
उन्होंने यह भी कहा कि जो
भी वैक्सीन यहां रखती है
वह पुरानी है और वैक्सीनेटर
को सामान नहीं दिये जा
रहे हैं। नि. डिल, वैक्सीन,
स्प्रिट आदि जो भी सामान
वैक्सीन के लिये आवश्यक
हैं, उन्हें तत्काल उपलब्ध
कराये जांय क्योंकि बरसात
के मौसम में इसकी आवश्यकता
है और इस समय टीके
लगने आवश्यक हैं। श्री
अनसरजा मान्य सभासद ने
स्लाटर हाउस में व्याप्त
गंदगी के प्रति खेद प्रकट
किया और कहा कि सफाई
कर्मचारी को उसकी सफाई
हेतु कड़े निर्देश दिये जांय।
मान्य सभासद ने यह जानना चाहा
था छपाई पर क्या-क्या
व्यय हुए हैं, इसमें कौन से
प्रपत्र, फार्म आदि छपते हैं
और उस पर व्यय किये
जाते हैं। उन्होंने यह भी कहा
कि जहां तक उन्हें याद है
पूर्व में, सफाई व वैक्सीन
के सम्बन्ध में एक हैंड
बिल छपवाया गया था, तो
उसकी प्रति दिखलाई जाये।
श्री अनसरजा मान्य

17.7.90 95

प्रस्ताव

निर्णय:-

सभासद ने कहा कि पेंशन व निर्वाह निधि लिपिक का काम सन्तोषजनक नहीं है, अध्यक्ष द्वारा सम्बन्धित लिपिक को चेतावनी दिये जाने का आश्वासन दिया गया।

डा० सुनील श्रीवास्तव, मान्य सभासद ने कहा कि जो कर्मचारी सेवानिवृत्त हो रहे हैं, उन्हें सेवानिवृत्ति की नोटिस देने के साथ ही उनके समी देयों का भुगतान भी बनाया जाय और उन्हें सेवानिवृत्त होते समय भुगतान कर दिया जाय, इससे कर्मचारी को बार-बार दौड़ना नहीं पड़ेगा और बोर्ड का कार्य भी आसानी से होगा और यह सुझाव सर्वसम्मति से पारित किया गया।

श्री अनसारुल मान्य सभासद ने कहा कि टैक्स के रजिस्टरों की बाइन्डिंग के लिए कितना भुगतान हुआ है, यह बाइन्डिंग कहां से किस दर पर करायी गयी है। यदि यह धनराशि 5,000/- पाँच हजार से अधिक का भुगतान किया गया है तो इसका टेन्डर क्यों नहीं कराया गया? इस पर अध्यक्ष की अनुमति से श्री मो०

17.7.90

प्रस्ताव	निर्णय:-
	फकरे आलम, कनिष्ठ लिपिक ने बताया कि यहाँ पर कोई वाइन्डिंग करने वाले की नियुक्ति नहीं थी और कि विभाग का डिमाण्ड रजिस्टर काफी फट गया था, जिसका वाइन्डिंग कराना आवश्यक था। केवल एक ही वाइन्डर नियुक्त हुये और उन्हीं से धीरे-धीरे करके वाइन्डिंग करायी गयी है।
	श्री विद्यासागर सोनकर, मान्य सभासद ने कहा कि सफाई कर्मचारी कब कब में हैं और कब कब कितनी नियुक्तियाँ की गयी हैं? उसका विवरण, जब से बोर्ड का गठन हुआ है, तब से दिया जाय।
	श्री अनसरजा, मान्य सभासद ने कहा कि 39 पम्प अटैचमेन्ट हैं और 12 नलकूप हैं, तो स्पष्ट किया जाय कि ये 39 पम्प अटैचमेन्ट कहाँ कहाँ कितनी संख्या में कार्यरत हैं। अध्यक्ष की अनुमति से श्री केदारनाथ यादव, प्रभारी जलकल अभियन्ता ने बताया कि कुल 39 पम्प अटैचमेन्ट हैं और 12 नलकूप हैं। प्रत्येक नलकूप पर तीन

प्रस्ताव

निर्णय:-

तीन शिफ्ट पर एक एक तथा तीन रिलीवर पम्प अटेन्डेन्ट है, इस प्रकार कुल 36 पम्प अटेन्डेन्ट तीनों शिफ्ट के लिए 3 रिलीवर के लिये कुल 39 पम्प अटेन्डेन्ट कार्यरत हैं। श्री अतसरजा माननीय सभासद ने कहा कि इस समय पानी की क्राइसिस नगर में है, ऐसा क्यों? इस पर श्री केदारनाथ यादव प्रभारी जलकल अभियन्ता ने बताया कि रा-नार पम्पिंग स्टेशन पर दो मोटर वर्षा से नदी का जल स्तर बढ़ने के कारण उसे निकाल कर ऊपर किया जा रहा है, इस लिये पानी की आपूर्ति समुचित मात्रा में नहीं हो पा रही है। शीघ्र ही मोटर फिट निकालकर पानी की समुचित जलापूर्ति की जायेगी। अन्त में मासिक आय व्यय सर्व सम्मति से पारित किया गया स्वीकार।

3. पालिका सफाई विभाग में सफाई कार्य हेतु दैनिक मजदूरी पर रखे गये 25 स्वच्छकारों का कार्यकाल 1.7.90 से 31.8.90 तक बढ़ाये जाने सम्बन्धी स्वास्थ्य विभागीय मान्यार्थ अधिशासी अधिकारी

17.7.

प्रस्ताव	निर्णय.-
व अध्यक्ष की संस्तुति परिषद अनुमोदन हेतु।	
4. पालिका सफाई विभाग में 3 ड्रैक्टरों पर 9 सफाई-बेलदार स्वच्छकार कर्मचारियों को स्वीकृत दैनिक वेतन रु 15/- पर रखने की स्वीकृति 1.7.90 से 31.8.90 तक बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में स्वास्थ्य विभागीय आख्या मय अधिशासी अधिकारी व अध्यक्ष की संस्तुतियों के साथ परिषद के अनुमोदन हेतु।	स्वीकार।
5. पालिका जलकल विभागीय नलकूपों के संचालन हेतु स्वीकृत दैनिक वेतन रु20/- पर 39 पम्प अटेन्डेन्टों का कार्यकाल 1.7.90 से 31.8.90 तक बढ़ाये जाने की जलकल विभागीय आख्या मय अधिशासी अधिकारी व अध्यक्ष की संस्तुतियों के साथ परिषद अनुमोदन हेतु।	स्वीकार।
6. पालिका जलकल विभाग की पाइप लाइनों के रख-रखाव हेतु स्वीकृत दैनिक	स्वीकार।

17.7.3097

प्रस्ताव :-	निर्णय :-
वेतन रु 15/- पर रखवे गये 6 बेलदारों का कार्यकाल 1.7.90 से 31.8.90 तक बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में जलकल विभागीय आख्या मय अधिशासी अधिकारी व अध्यक्ष की संस्तुति के साथ परिषद अनुमोदन हेतु।	
7. पालिका प्रकाश विभाग में विद्युत व्यवस्था के सम्बन्ध में स्वीकृत दैनिक वेतन रु 20/- पर रखवे गये एक मिस्त्री का कार्य काल 1.7.90 से 31.8.90 तक बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में प्रकाश विभागीय आख्या मय अधिशासी-अधिकारी व अध्यक्ष की ~~स्वीकृति~~ संस्तुति के साथ परिषद अनुमोदन हेतु।	स्वीकार।
8. प्रस्ताव श्री गणेशनाथरावत मान्य सभासद जिसका समर्थन श्री बाबूलाल गुप्ता ने किया कि मिटी-रोड जैनपुर की सीमा के अन्तर्गत नहरबाजारी बस्ती हेतु गत 19 वर्षों से	इस प्रस्ताव के सम्बन्ध में श्री गणेशनाथरावत मान्य सभासद ने कहा कि जैसे पहले इन वार्ड मान्य समासदों ने तीनों मोहल्ले को वेतन दिया जाता रहा है, वैसे दिया जाय, वेतन रोकने का कोई औचित्य नहीं है जैसे कि अप्रैल

17.7.90

प्रस्ताव	निर्णय
कार्यरत तदर्थकालीन मोहर्रिर क्रमशः श्री त्रिलोकीनाथ श्री धर्मपाल, श्री मेवालाल को शासन से पद सृजन की स्वीकृति की प्रत्याशा में राज्य सरकार द्वारा पुनरीक्षित वेतन तथा मंहगाई भत्ता भुगतान किये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव परिषद अनुमोदन हेतु।	से वेतन दिया जा रहा उसे दिया जाय, जिससे सदन में सर्व सम्मति से वेतन दिया जाना स्वीकार किया गया। श्री विद्यासागर मान्य सभासद ने कहा कि दैनिक वेतन पर बहुत से ऐसे कर्मचारी लगाये गये हैं जो बिना बोर्ड की स्वीकृति के हैं जैसे चुंगी आदि में उन्हें किस मद से वेतन दिया जा रहा है?
9. नगर पालिका बालिका उ0मा0विद्यालय में गणित शिक्षण कार्य हेतु शिक्षिका के अभाव में छात्राओं के हित को ध्यान में रखते हुये श्रीमती पुष्पलता सिंह की 400/- मासिक वृत्तिका पर की गयी नियुक्ति एवं उनके शिक्षण कार्य वास्ते माह फरवरी, मार्च अप्रैल 90 व मई 90 के लिये कुल देय पारिश्रमिक रु 1380=65 पैसे परिषद अनुमोदन हेतु तथा दैनिक मासिक वृत्तिका 400/- पर इनकी सेवायें, स्थायी व्यवस्था होने तक, बढ़ाने पर विचार।	स्वीकार। मान्य सभासद श्री रामअधार यादव व श्री सोमनाथ आर्य ने कहा कि 400/- की मासिक वृत्तिका वर्तमान मंहगाई को देखते हुए कम है, यह और अधिक होना चाहिये।

17.7.90

प्रस्ताव	निर्णय
10. सिटी बोर्ड जौनपुर के वित्तीय वर्ष 1990-91 के माह जून 90 का मासिक आय व्यय लेखा विवरण पत्रादि परिषद के अवलोकन व अनुमोदन हेतु।	विवरण पढ़ा गया और सर्व सम्मति से स्वीकार।
11. पालिका जन स्वास्थ्य समिति की बैठक दिनांक 18-6-90 के प्रस्ताव संख्या 4 के निर्णयानुसार नगर के बड़े-बड़े नालों की बरसात के पूर्व सफाई कराने हेतु 15 नालागैंग स्वच्छकार दैनिक मजदूरी पर 15/- पर रखने का प्रस्ताव परिषद विचारार्थ।	अस्वीकृत
12. सिटी-बोर्ड जौनपुर के पूरक प्रस्ताव सं० 1 दिनांक 25-1-90 में नगर विकास अनुभाग-1 शासनादेश संख्या 3376ए/9-1-89-503 (वि० स०अनु०)/89 दिनांक 6-9-89 द्वारा प्राप्त सड़क अनुदान ₹ 10.50 (साढ़े दस लाख) से पालिका के विभिन्न वार्डों में निर्माण कराने हेतु स्वीकृति के अनुसार 57 निर्माण कार्यों के लिए प्राप्त निविदाओं की सूची, उसमें अंकित न्यूनतम - निविदादाता और उनकी -	निर्माण कमेटी के सभापति श्री रवीन्द्र प्रताप सिंह द्वारा इस प्रस्ताव पर विरोध प्रकट किया गया, क्योंकि इसे निर्माण कमेटी के माध्यम से न लाकर सीधे लाया गया है, इसलिये इसे निरस्त किया जाय, इस पर सदन में सहमति पाते हुये समस्त टेन्डर निरस्त किया गया और पुनः टेण्डर मांगने का निर्णय हुआ।

17.7.90

प्रस्ताव	निर्णय
निविदा की न्यूनतम धनराशि को स्वीकार करने की नगर अभियन्ता / अधिशासी अधिकारी / अध्यक्ष की संस्तुतियों के साथ परिषद स्वीकृति हेतु।	
13. सिटी बोर्ड जौनपुर के पूरक प्रस्ताव सं० 2 दिनांक 25-1-90 में शासनादेश संख्या 4543ए/11-5-85 (वि०स०अनु०)/86 दिनांक 11-12-86 के अन्तर्गत मो० पुरानी पुर में शाहगंज रोड से ईशापुर रोड तक सड़क के पेन्टिंग कार्य हेतु स्वीकृत व्यय अनुमान रु 66,820=00 (छाँछठ हजार आठ सौ बीस) पर उक्त कार्य कराने हेतु माँगी गयी निविदाओं में न्यूनतम निविदा श्री सुभाषकुमार सतीशकुमार एण्ड ब्रदर्स का रु 32,823.81 पैसे (जिसमें तारकोल का मूल्य सम्मिलित नहीं है) का मय नगर अभियन्ता / अधिशासी अधिकारी व अध्यक्ष को -	प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान सदन में यह सहमति पाई गयी कि इस प्रस्ताव को निर्माण समिति के माध्यम से अगली बैठक में लाया जाय।

17.7.90

प्रस्ताव	निर्णय
संस्तुतियों के साथ परिषद स्वीकृति हेतु।	
14. सिटी बोर्ड जौनपुर के प्रस्ताव संख्या 11 दिनांक 28.5.90 के अन्तर्गत स्वीकृत सिटी बोर्ड कार्यालय के दक्षिणी गेट के पास पुराने रिक्शा स्टैण्ड के स्थान पर दुकान निर्माण के लिये आये हुये निविदाओं में न्यूनतम टेन्डर श्री राजेन्द्र प्रसाद सिंह का 12 दुकानों के निर्माण का न्यूनतम निविदा रु० 2,45,308.54 (दो लाख पैंतालिस हजार तीन सौ आठ रुपये चौवन पैसे) का परिषद स्वीकृति हेतु।	इस प्रस्ताव को भी सर्वसम्मति से निर्माण समिति के माध्यम से लाने हेतु सहमति पायी गयी।
15. सिटी-बोर्ड जौनपुर के प्रस्ताव संख्या 12 दिनांक 28-5-90 में स्वीकृत सब्जी मंडी स्थित स्टेशन रोड की पटरी पर दुकानों के निर्माण हेतु प्राप्त निविदाओं में न्यूनतम निविदा श्री नगेन्द्रनाथ सिंह, ठीकेदार का रु० 3,51,550.69 पैसे (तीन लाख एक्यावन हजार·	निर्माण समिति के माध्यम से लाने हेतु सहमति पायी गयी।

प्रस्ताव	निर्णय
पाँच सौ पच्चास तथा ओन्हत्तर पैसे) परिषद स्वीकृति हेतु।	
16. शासनादेश संख्या 2701ए/9-1-89-503 (सा०म०अनु०)/89 दिनांक 6-9-89 के अन्तर्गत स्वीकृत निर्माण कार्यों में निम्न निर्माण कार्य के लिये प्राप्त निविदाओं में न्यूनतम निविदा की धनराशि मय नगर अभियन्ता / अधिशासी अधिकारी व अध्यक्ष की संस्तुतियों के साथ परिषद अनुमोदन हेतु।	
(क) पालिटेक्निक चौराहे के पास इलाहाबाद रोड से श्री रिपुदमन सिंह के मकान तक सोलिंग व नाली निर्माण हेतु न्यूनतम निविदा श्री हुसैन अब्बास का रुपया 88,464.67 (अट्ठासी हजार चार सौ चौसठ रुपये सरसठ पैसे) स्वीकृति हेतु।	निर्माण समिति के माध्यम से लाने हेतु सहमति पायी गयी।

17.7.90

प्रस्ताव	निर्णय
(ख) जोगियापुर में श्री चन्द्रकान्त के मकान के पीछे बगल की गली में नाली निर्माण हेतु न्यूनतम निविदा श्री तहसीलदार सिंह का रूपया 14,989=46 पैसे (चौदह-हजार नौ सौ नवासी तथा छियालिस पैसे) परिषद स्वीकृति हेतु।	निर्माण समिति के माध्यम से कराने हेतु सहमति पायी गयी।

अन्य विषय अध्यक्ष की अनुमति से - xxx

(रामवृक्षराम)
अधिशासी-अधिकारी
सिटी-बोर्ड
जौनपुर
17.7.90

(सीताराम यादव)
अध्यक्ष,
सिटी-बोर्ड-
जौनपुर
17.7.90

Scanned with OKEN Scanner

-विशेष प्रस्ताव-

17.7.90

प्रस्ताव	निर्णय
1. परिषद की बैठक दिनांक 28.5.90 के विशेष प्रस्ताव संख्या 1 के अन्तर्गत नगर की सीमा में स्थित अचल सम्पत्ति के हस्तांतरण को नियंत्रित एवं विनियमित करने हेतु म्युनिसिपल एक्ट 1916 की धारा 128 की उपधारा 1 के खण्ड 13वीं के साथ पठित धारा 299 (1) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये बनाये गये नियमावली कि ~~की~~ नगर सीमा की प्रत्येक अचल सम्पत्ति के हस्तांतरण के विक्रय मूल्य का 2% (दो प्रतिशत) सिटी-बोर्ड जौनपुर में जमा कराया जाये, जो परिषद द्वारा सर्वसम्मति से पारित किये जाने के पश्चात नागरिकों से आपत्ति एवं सुझाव 15 दिवस में मांगे जाने पर किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति व सुझाव प्राप्त न	सर्व सम्मति से स्वीकार। अग्रेतर कार्यवाई की जाय।

17.7.90

प्रस्ताव	निर्णय
होने की स्थिति में, प्रकरण, परिषद के समक्ष पुनः विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ।	

(रामकृष्णराम)
अधिशासी-अधिकारी
सिटी-बोर्ड
जौनपुर
17.7.90

सीताराम यादव
(सीतारामयादव)
अध्यक्ष
सिटी बोर्ड
जौनपुर
17.7.90

Scanned with OKEN Scanner